-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 10.03.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा कुल्हाड़ी से हमला कर जान से मारने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद।**
- **अभियुक्त द्वारा दिनांक 06.11.2024 को युवक को कुल्हाड़ी से मारकर गम्भीर रुप से कर दिया था घायल, इलाज के दौरान दिनांक 07.03.2025 को युवक की हो गई थी मृत्यु।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में विभिन्न अभियोगों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.03.2025 को थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा कुल्हाड़ी से हमला कर जान से मारने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 06.11.2024 को थाना बिसण्डा क्षेत्र के ग्राम कोर्रही के रहने वाले समीमुद्दीन पुत्र बदरुद्दीन को कुल्हाड़ी से मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था जिसके सम्बन्ध में घायल की माँ शायरा के द्वारा दिनांक 13.11.2024 को थाना बिसण्डा पर दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसी दौरान गम्भीर रुप से घायल समीमुद्दीन उपरोक्त की इलाज के दौरान दिनांक 07.03.2025 को मृत्यु हो गई। आज दिनांक 10.03.2025 को थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त वासिब को ग्राम कोर्रही से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. वासिब पुत्र कौसर निवासी कोर्रही थाना बिसंडा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 419/24 धारा 191(2)/191(3)/110/351(2)/352/105/3(5) बीएनएस थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 बिसण्डा श्री सुरेश कुमार सैनी
2. उ0नि0 श्री मणिशंकर मिश्रा
3. कां0 प्रदीप कुमार